3- श्री महेन्द्र सिंह		सदस्य
4- श्री ओमकार सरन मेहरोत्रा		सदस्य
5- श्री हरीराम भारती		सदस्य
6- श्री हरमिन्दर राज सिंह	विशेष सचिव (वित्त) (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
7- श्री शंकर अग्रवाल	संयुक्त सचिव, आवास एवं नगर विकास (आवास एवं नगर विकास के प्रतिनिधि)	सदस्य
8- श्री आर०रमणी	महानिदेशक साडा०एस्कूरी	विशेष आमंत्री
9- श्री के०पी०सिंह	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव

दिनांक 12-4-89 एवं 25-4-89 की बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात् निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये:-

क्र०सं०	विषय	संकल्प सं०	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 25-4-89 को हुई बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि।	111/11/89	दिनांक 25-3-89 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2-	दिनांक 25-3-89 को हुई बैठक की अनुपालन आख्या।	111/12/89	परिषद द्वारा दिनांक 25-3-89 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन से परिषद को अवगत कराया गया।
3-	भूमि विनियमावली-1984 में संशोधन।	111/13/89	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त इसकी स्वीकृति निम्न बिन्दुओं के साथ प्रदत्त की:- 1- सम्पूर्ण धनराशि का 40 प्रतिशत ई०डब्लू०एस०/एल०आई०जी०, 30 प्रतिशत एम०आई०जी० 20 प्रतिशत एच०आई०जी०के लिये रखा जाये।
4-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1988-89 की प्रगति के बारे में संक्षेप में टिप्पणी एवं विशेष समस्यायें।	111/14/89	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त भूमि अर्जन की समस्या शासन से ऋण की स्वीकृति तथा रिक्त पदों को भरती हेतु अनुमति देने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त किया तथा यह भी निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जाये। 1-परिषद की योजनाओं को नगर महापालिकाओं को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में परिषद के समक्ष अलग से विस्तार पूर्वक टिप्पणी प्रस्तुत की जाये तथा यह भी निर्णय लिया गया कि इसके निवारण हेतु शासन स्तर से कार्यवाही की जाये। 2-न्यायालयों में लम्बित वाद के सम्बन्ध में परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि परिषद की आगामी बैठक में इस सम्बन्ध में अलग से पूर्ण विवरण सहित विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत की जाये।

1	2	3	4
			3-अधिक से अधिक उ०आ०व० तथा म०आ०व० तथा म०आ०व०भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से निर्णय लिये गये:- क-दु०आ०व० के भवनों के लिये शासन आवश्यक धनराशि सब्सिडीज के रूप में स्वीकृत करे। ख-भूमि अर्जन के लिये शासन रिवाल्विंग फण्ड की व्यवस्था करें ताकि काश्तकारों को समय पर भुगतान हो सके जिससे आवास परिषद अपनी कठिनाईयों को देखते हुए कुछ समय बाद प्रतिकर का भुगतान करें सकें। ग-शासन द्वारा जो ऋण स्वीकृत किया जाता है वह भी 4 प्रतिशत ब्याज पर स्वीकृत किया जाए। घ-भवनों का आवंटन करने के लिए जो शासन द्वारा व्यवस्था की गयी है उसके लिए भी शासन को लिखा जाए। 4-अधिक से अधिक सम्पत्तियों को किश्त पर आवंटित करने के सम्बन्ध में परिषद आगामी बैठक में विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत की जाए। 5-आरक्षित सम्पत्तियों के आवंटन में कठिनाई आने पर समय समय पर परिषद का निर्णय होता रहा अतः इसके लिये दूसरा उपाय ढूंढा जाय।
5-	परिषद के वित्तीय वर्ष 1989-90 के तीन महीनों के लिए आय तथा व्यय(आय-व्ययक)के अनुमानों की स्वीकृति।	111/151/89	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में जून के प्रथम सप्ताह में पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाये।
6-	मेरठ एवं कानपुर वृत्त में कम्प्यूटर की स्थापना।	111/161/89	विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि परिषद कार्यालय में अनुबन्ध पर कम्प्यूटर प्रोग्रामर/कम्प्यूटर आपरेटर रखा लिये जाये।
7-	परिषद द्वारा प्रतिष्ठित होने वाले भूखण्डों पर निर्माण अवधि कम किये जाने के सम्बन्ध में।	111/171/89	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि 10 वर्ष बाद भी भूखण्ड पर निर्माण नहीं कराया जाता है तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाये और कब्जा वापस ले लिया जाये और परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि 10 वर्ष में केवल दो बार ही समय वृद्धि दी जा सकती है और अनिर्माण शुल्क सरकारी अथवा निजी से न लिया जाये।

1	2	3	4
8- राजपुर [illegible] रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना [illegible] में [illegible] बालिका स्कूल को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में		111/181/89	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार से निर्णय लिये:- 1-एवार्ड घोषित करने पर मुआवजा दिया जाये। 2-किसी भी दशा में मुख्य सड़कों पर स्थित भूमि न दी जाये। 3-इस प्रकार के आवंटन में निदेशक मण्डल में एक प्रतिनिधि का होना आवश्यक है। 4-यदि स्कूल 1.40 एकड़ भूमि लेता है तो उस पर दुकान नहीं बनायेगा तथा उसका उपभोग व्यवसायिक तौर पर नहीं करेगा।
9- परिषद की योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं आरक्षित सम्मिलित किसी अन्य आरक्षित वर्ग को निस्तारित न किये जाने के सम्बन्ध में।		111/191/89	प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुये परिषद ने निर्देश दिये कि सचिव इसका अनुश्रवण अपने स्तर से करें कि उक्त सुविधाओं का उचित अनुपालन किया जाय तथा आरक्षित वर्गों के मध्य परिवर्तन के उपरान्त सम्पत्ति के आवंटन की सूचना परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगी। परिषद ने यह भी निर्देश दिये कि इस तरह के परिवर्तन कर सम्पत्ति का प्रदेशन केवल लाटरी द्वारा ही किये जायें तथा सम्पत्ति को किसी अन्य को आवंटन नहीं किया जायेगा शेष आरक्षित वर्गों में परिषद कर्मचारियों को आवंटन सबसे बाद में किया जाय।
10-अलोकप्रिय योजनाओं में किश्तों पर प्रदिष्ट की जाने वाली सम्पत्तियों की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।		111/1101/89	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न प्रकार से निर्णय लिया:- पंजीकरण धनराशि में कोई कमी न की जाये किन्तु प्रथम एक मुश्त धनराशि का 40 प्रतिशत तक जमा कराया जा सकता है। साथ ही किश्तों की अवधि द०आ०व० एवं अ०आ०व०-भवनों में 20 वर्ष होगी तथा एम०आई०जी० एवं एल०आई०जी० के भवनों में क्रमशः 15 वर्षों एवं 12 वर्षों में तथा भूखण्ड के मामले में 12 छमाही किश्तों में भुगतान किया जाये। अलोकप्रिय योजनाओं में इसके पूर्व हुए निर्णय प्रचलित रहेंगे। इस निर्णय का उन अलोकप्रिय योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
11-आवास परिषद की देहरादून में आवासीय योजनों का रखरखाव।		111/1111/89	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए निम्न आदेश दिये:- I- जब तक नगर पालिका को कोई योजना स्थानान्तरित नहीं होती है जब तक यदि उस योजना का नागरिक भवन कर के बराबर शुल्क देने को तैयार हो तब तक नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयास परिषद को करना चाहिये। II-उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के उपभोग के बाद आवश्यकतानुसार सड़कों की मरम्मत का प्रस्ताव विस्तृत आंकलनों के साथ प्रस्तुत किया जाये।

1	2	3	4
			III-देहरादून में इन्दिरा नगर आवासीय योजना का ले-आउट में यदि स्कूल का प्राविधान हो तो उस भूखण्ड को स्कूल को देने की आवश्यक कार्यवाही की जाये तथा इस भूखण्ड का प्राविधान न हो तो इस पर विचार कर लिया जाये।
12-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के लेखा मैनुअल का अनुमोदन	111/(12)/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
13-	परिषद की कुर्सी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखनऊ के ग्राम हरिभगर में श्री एस0डी0कपूर आदि की 27 बीघा 5 बिस्वा 19 बिस्वांसी समाविष्ट भूमि में से 6730 वर्ग मीटर भूमि श्री कपूर से समझौता कर अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	111/(13)/89	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की:- I-आवंटन की जाने वाली समस्त भूमि पर वर्तमान दर पर विकास दर ली जाये। II-श्री विनोद दीक्षित को फाउन्डेशन को दी जाने वाली भूमि के बारे में यह शर्त रखी जाय कि यदि इस भूमि पर उपरोक्त प्रस्तावित उद्देश्य के विपरीत किया जाता है तो उक्त भूमि की स्वामित्व परिषद में निहित हो जायेगा। श्री विनोद दीक्षित के नाम पर स्थापित की जा रही संस्था को जो भूमि दी जाए उस पर विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा। उद्देश्य के विपरीत के आगे कोई अन्य कार्य किया जाता है अर्थात् व्यवसायिक(दुकानें आदि)के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उस भूमि का स्वामित्व परिषद में निहित हो जायेगा।
14-	रजदेवपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजीपुर में श्री अब्दुल रज्जाक की भूमि खसरा सं0-154 में शासनादेश के अन्तर्गत कब्रों एवं मजारों की भूमि 1.10 एकड़ को योजना में समायोजित करने के सम्बन्ध में।	111/(14)/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
15-	दुर्गा देवी चेरिटेबिल तथा धार्मिक ट्रस्ट मेरठ की भूमि अर्जन मुक्ति विषयक।	111/(15)/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
16-	सहारनपुर रोड योजना सं0-1 देहरादून में समाविष्ट सर्वश्री डा0 अशोक कुमार गुप्ता, रामशरन दास एवं राजीव अग्रवाल की भूमि खसरा सं0-430, 431/1, 432/2 व 433 क्षेत्रफल 1.66 एकड़ को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	111/(16)/89	-तदैव-
17-	सहारनपुर रोड योजना सं0-1 देहरादून में समाविष्ट श्री जितेन्द्र सिंह व बृजेन्द्र सिंह निवासी निरंजनपुर की भूमि खसरा सं0-491/3/1 491/3/2 को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	111/(17)/89	-तदैव-

1	2	3	4
18-	मझौला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 (भाग-1) मुरादाबाद में समाविष्ट श्री जगन्नाथ प्रसाद आदि की भूमि को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में	111/1181/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
19-	मझौला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 (भाग-1) मुरादाबाद में समाविष्ट श्री राम स्टा बोर्ड मिल्स की भूमि को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	111/1191/89	-तदैव-
20-	राजाजीपुरम योजना लखनऊ में ई0डब्लू0एस0भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	111/1201/89	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
21-	हडको के पक्ष में शासन द्वारा निर्गत होने वाली रु0 49 करोड़ की ब्लाक गारन्टी में से आवास संघ को भाग दिये जाने के सम्बन्ध में।	111/1211/89	-तदैव-
22-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	111/1221/89	भूमि अर्जन प्रकरण के बारे में विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि अमरोहा दमदमा कोठी मुरादाबाद तथा कुर्सी रोड लखनऊ में भूमि अर्जन के लम्बित मामलों में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है अतः अमरोहा आयुक्त एवं अध्यक्ष इस प्रकरणों को स्वयं देख लें तथा यदि विलम्ब के लिये कोई दोषी पाया जाय तो आवास आयुक्त तुरन्त कार्यवाही करें। कर्मचारी कल्याण कोष कैटलाग तैयार करने पर भी विचार विमर्श हुआ तथा निम्नलिखित प्रश्न भी उठाया गया:- परिषद की सामान्य योजनाओं में भी पंजीकरण धनराशि के साथ मकान एलाट हो जाने पर ली जाने वाली किश्त की धनराशि इतनी अधिक होती है कि एलाटी को उसे जमा करने में परेशानी होती है। अतः इस पर भी विचार किया जाय।

दिनांक 25-4-89 का कार्यवृत्त

1	2	3	4
12-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के लेखा मैनुअल का अनुमोदन।	111/1121/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
14-	रुद्रपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गाजीपुर में श्री अब्दुल रज्जाक की भूमि खसरा सं0-154 में श्रीसमादेश के अन्तर्गत कब्रों एवं मजारों की भूमि 1.10 एकड़ को योजना में समायोजित करने के सम्बन्ध में।	111/1141/89	परिषद ने सर्वसम्मति से यह सहमति व्यक्त की कि कमेटी के गठन के बारे में पूरा विवरण प्राप्त कर लिया जाय साथ ही यह भी कि वक्फ बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं। मान्यता प्राप्त द्वारा के स्थान पर वक्फ बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड है या नहीं शामिल कर लिया जाय।

1	2	3	4
15-	दुर्गा देवी चैरिटेबिल तथा धार्मिक ट्रस्ट मेरठ की भूमि अर्जन मुक्ति विषयक।	III/(15)/89	परिषद सिद्धान्त रूप से यह जमीन को देने के लिए सहमत है किन्तु अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारियों से यह मालूम कर ली जाये वह रजिस्टर्ड है अथवा नहीं और इसका उद्देश्य क्या है। भूमि का आवंटन निम्न शर्तों से किया जाय। 1- ट्रस्ट इस भूमि का उपयोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही करेगा तथा इस पर कामर्शियल भवन आदि नहीं बनायेगा। ऐसा करने पर भूमि का स्वामित्व परिषद में निहित हो जायेगा। 2- मुनासिब विकास शुल्क लेकर भूमि को योजना में समायोजित कर लिया जाये तथा ट्रस्ट के कागजात आदि देखने के बाद आवास आयुक्त/अध्यक्ष को अन्तिम निर्णय के लिए अधिकृत किया गया।
16-	सहारनपुर रोड योजना सं0-1 देहरादून में समाविष्ट सर्वश्री डा0अशोक कुमार गुप्ता, रामचरन दास एवं राजीव अग्रवाल की भूमि खसरा सं0-430, 431/1, 432/ व 433 क्षेत्रफल 1.66 एकड़ को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	III/(16)/89	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि चूंकि इस सम्बन्ध में योजना को छोड़ने के बारे में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। अतः इस प्रकरण पर अगली बैठक में विचार किया जाये साथ ही इस बिन्दु पर भी विचार कर लिया जाये कि शासन से अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए अनुरोध करना उचित होगा अथवा नहीं।
17-	सहारनपुर रोड योजना सं0-1, देहरादून में समाविष्ट श्री जितेन्द्र सिंह व बृजेन्द्र सिंह निवासी निरंजनपुर की भूमि खसरा सं0-49(1)/3/1 49(1)/3/2 को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	III/(17)/89	-तदैव-
18-	मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 (भाग-1) मुरादाबाद में समाविष्ट श्री जगन्नाथ कपूर आदि की भूमि को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	III/(18)/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
19-	मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 (भाग-1) मुरादाबाद में समाविष्ट श्री राम हैण्ड बोर्ड मिल्स की भूमि को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	III/(19)/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।

अनुपूरक टिप्पणी परिषद बैठक दिनांक 25-4-89

(1)	जनता कोल्ड स्टोरेज एवं आइस फैक्ट्री चार पार बुलन्दशहर की भूमि को अर्जनमुक्त करने के सम्बन्ध में।	III/(1)/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
(2)	बसुन्धरा इण्डियन कट एवं लिंक रोड के मध्य भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 गाजियाबाद में विकास एवं निर्माण कार्य।	III/(2)/89	इस प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और पेयजल की समस्याओं के बारे में मा0 सदस्यों का यह मत था कि यदि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण परिषद की मांग के अनुसार पेय जल उपलब्ध न कराने

1	2	3	4
			में सक्षम हैं तो परिषद की जी०डी०ए० के साथ मिलकर संयुक्त रूप सुव्यवस्था करें। इस प्रकार से की जाने वाली व्यवस्था पर कितनी धनराशि व्यय होगी इसकी भी जानकारी प्राप्त कर ली जाये। जल निगम द्वारा जो मास्टर प्लान निगम द्वारा जो मास्टर प्लान बनाया जा रहा है उसके अनुसार ही पेय जल की व्यवस्था की जाये और पेय जल योजना के रख रखाव के बाद परिषद एवं जी०डी०ए० द्वारा वहन किया जायेगा। गाजियाबाद योजना में बहुखण्डीय भवन बनाये जाने के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। माननीय सदस्यों का यह मत था कि इस बारे में विशेषज्ञों की राय लेकर पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये जिसमें बहुखण्डीय भवन बनाने पर होने वाले व्यय का विवरण दिया जाये। जहाँ पर यह योजना प्रस्तावित है वहाँ पर आवास एवं विकास परिषद द्वारा एक साइन बोर्ड लगाया जाये जिसके बारे में जनता को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके।
131- टिहरी बाँध से जलमग्न होने वाले टिहरी नगर के विस्थापितों को नये टिहरी नगर में सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि पर दिसम्बर-90 तक निर्मित भवन उपलब्ध कराने के संबंध में टिप्पणी।		111/131/89	टिहरी नगर के विस्थापितों को नये टिहरी नगर में भवन बनाकर उपलब्ध कराये जाने के बारे में प्रस्ताव पर परिषद में विस्तृत रूप से चर्चा हुयी और परिषद ने यह निर्णय लिया कि परिषद को यह कार्य करना चाहिए परन्तु इसके पूर्व शासन से निम्न बिन्दुओं पर यह स्पष्ट कर लिया जाये। 1- इस कार्य को करने पर जो व्यय आयेगा वह या तो शासन उपलब्ध कराये। यदि परिषद को हडको या अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर यह कार्य कराना है तो इस बात की गारंटी देने के लिये शासन से अनुरोध किया जाये कि आवंटियों को दिये गये भवनों की धनराशि जिला प्रशासन के माध्यम से वसूल करवाई जाये। 2- भवनों के कुल निर्माण में से हडको द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले ऋण की धनराशि को निकालकर शेष धनराशि शासन द्वारा प्रोजेक्ट से उपलब्ध करायी जाये क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में भवनों की लागत काफी अधिक आती है और हडको द्वारा पूरा ऋण नहीं दिया जाता। 3- शासन द्वारा विकसित भूमि का भौतिक कब्जा परिषद को प्राप्त हो जायेगा तभी परिषद इस कार्य को प्रारम्भ कर सकेगी इसके लिये शासन को पत्र लिखा जाये। शासन को यह भी सूचित कर दिया जाये कि भवनों/भूखण्डों का कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त भवनों का निर्माण करने में डेढ़ से दो वर्ष का समय लगेगा। इससे कम समय में भवनों का निर्माण करना संभव नहीं है। 4- नये टिहरी नगर में 3500 लोग जो योजना से प्रभावित होंगे को किस प्रकार के श्रेणीवार भवनों की आवश्यकता होगी इसका एक सर्वे प्राप्त कराया जाये।

1	2	3	4
4-	परिषद कर्मचारी के आकस्मिक निधन पर उसके आश्रितों को क्षतिपूर्ति आधार पर (कम्पेनसेटी) ग्राउन्ड पर रोजगार देने के सम्बन्ध में।	III/(14)/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
5-	हडको वित्त पोषित 3 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको द्वारा निर्धारित शर्तों पर ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	III/(15)/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
6-	हडको पोषित 6 योजनाओं में प्रतिभूति के रूप में निगेटिव लियन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	III/(16)/89	-तदैव-
7-	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर 4 में प्रस्तावित इन्दिरा प्लेस कामर्शियल काम्पलेक्स के प्रथम द्वितीय तृतीय एवं टैरेस फ्लोर के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	III/(17)/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ।
8-	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय फोरम के अन्तर्गत दाखिल किये जाने वाले परिवाद के क्षेत्राधिकार से उ0प्र0आवास विकास परिषद को बाहर किये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किये जाने के सम्बन्ध में।	III/(18)/89	विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया।

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर दिनांक 25-4-89 के क्रम में दिनांक 25-5-89 की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 25-5-89 की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री काज़ी गुफरान ज़ाहिदी		अध्यक्ष
2-	श्री नागिन्दर सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
3-	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह		सदस्य
4-	श्री ओमकार सरन मेहरोत्रा		सदस्य
5-	श्री रती राम भाटी		सदस्य
6-	श्री एस0के0सिन्हा	उप सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
7-	श्री शंकर अग्रवाल	संयुक्त सचिव, आवास एवं नगर विकास (आवास सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
8-	श्री एन0आर0वर्मा	वास्तुविद् नियोजक (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि)	सदस्य
9-	श्री एस0के0मिश्र	प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ	सदस्य
10-	श्री आर0रमणी	महानिदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो लखनऊ	विशेष आमंत्री
11-	श्री के0पी0सिंह	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव

क्र0सं0	विषय	सं0सं0	निर्णय
1-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के लेखा मैनुअल का अनुमोदन।	111/1121/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
2-	सहारनपुर रोड योजना सं0-1 देहरादून में समाविष्ट सर्वश्री डा0अशोक कुमार गुप्ता राम चरन दास एवं राजीव अग्रवाल की भूमि खसरा सं0-430, 431/1, 432/2 व 433 क्षेत्रफल 1.66 एकड़ को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	111/1161/89	विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सहारनपुर रोड योजना सं0-1, देहरादून के बारे में जो शासन से आदेश प्राप्त हुवे है उस पर पुनः विचार करने हेतु शासन को फिर लिखा जाये क्योंकि देहरादून में निकट भविष्य में और भूमि मिलने की संभावना नहीं है।
3-	सहारनपुर रोड योजना सं0-1 देहरादून में समाविष्ट श्री जितेन्द्र सिंह व बृजेन्द्र सिंह निवासी निरंजनपुर की भूमि खसरा सं0-491/3/1, 491/3/2 को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	111/1171/89	विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करने के उपरान्त जो टिप्पणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई थी उसका अनुमोदन किया गया था उसके अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
4-	मझौला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 (भाग-1) मुरादाबाद में समाविष्ट श्री जगन्नाथ कपूर आदि की भूमि को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	111/1181/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।

1	2	3	4
5-सहीला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 भाग-1 मुरादाबाद में समाविष्ट श्री राम स्टार्च सीड्स मिल्स की भूमि को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।		111/39/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।

अनुपूरक टिप्पणी परिषद बैठक दिनांक 25-4-89

1	2	3	4
1-जनता कोल्ड स्टोरेज एवं राईस फैक्ट्री चार-चार बुलन्दशहर की भूमि को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।		111/11/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
2-परिषद कर्मचारी के आकस्मिक निधन पर उसके आश्रितों को क्षतिपूर्ति आधार पर कम्पैशनेट ग्राउन्ड पर रोजगार देने के सम्बन्ध में।		111/14/89	-तदैव-
3-हडको द्वारा पोषित 3 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको द्वारा निर्धारित शर्तों पर ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।		111/15/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
4-हडको पोषित 6 योजनाओं में प्रतिभूति के रूप में निगोशियेबल ... उपलब्ध कराने के संबंध में।		111/16/89	-तदैव-
7-इन्दिरानगर योजना लखनऊ के सेक्टर-4 में प्रस्तावित इन्दिरा प्लेस कामर्शियल काम्पलेक्स के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं टेरेस फ्लोर के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्त स्वीकृति के सम्बन्ध में।		111/17/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
8-परिषद के वर्ष-1989-90 के आय व्ययक की संरचना पर विचार।		111/18/89	आवास आयुक्त द्वारा परिषद के वर्ष-1989-90 के आय-व्ययक की संरचना के सम्बन्ध में टिप्पणी प्रस्तुत करते हुये विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया कि परिषद को उक्त वर्ष में लगभग रू0 49.00 करोड़ की कमी हो रही है। इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त द्वारा परिषद के सदस्यों से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई। विस्तृत विचार विमर्श के बाद इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार से निर्णय लिये गये:- 1- जैसा कि परिषद द्वारा वर्ष-1987-88 की तुलना में वर्ष-1988-89 में काफी अधिक धनराशि आवंटियों से वसूल की गई थी उसी प्रकार वर्ष-89-90 में भी अधिक से अधिक वसूली करने हेतु सभी संभव प्रयास किये जायें। 2- इसी प्रकार वर्ष-1987-88 की तुलना में वर्ष-88-89 में काफी अधिक सम्पत्ति आवंटित की गई थी। उसी प्रकार वर्ष-1989-90 में भी अधिक से अधिक सम्पत्ति का आवंटन करने हेतु सभी संभव प्रयास किये जायें। 3- अधिक से अधिक सम्पत्ति को आवंटित करने तथा देय धनराशि को वसूल करने हेतु अच्छे ढंग से मानीटरिंग करके उसमें अधिकाधिक सफलता प्राप्त की जाये। 4- परिषद को सूचित किया गया कि कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन

2	3	4
		खातों तथा अन्य भत्तों में शासनादेशों के अनुसार बढ़ोत्तरी होने के कारण प्रशासनिक व्यय में बढ़ोत्तरी होना स्वाभाविक है। वर्ष-1989-90 में वेतन समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कर्मचारियों के वेतनमानों में बढ़ोत्तरी होने की सम्भावना है जिसके कारण-89-90 में प्रशासनिक व्यय में और भी बढ़ोत्तरी हो जायेगी। परिषद के सदस्यों द्वारा यह राय व्यक्त की गई कि पैट्रोल, टेलीफोन तथा दौरों आदि पर जो व्यय किया जाता है उन पर जहाँ तक सम्भव हो कम से कम व्यय किया जाय।
		5- जिस प्रकार वर्ष-87-88 की तुलना में 88-89 में अलोकप्रिय योजनाओं के निस्तारण में प्रयास करके सफलता लाई गई उसी प्रकार 89-90 में पूरा प्रयास करके इसमें और सफलता लाई जाय।
		6- जैसे कि वर्ष-87-88 की तुलना में वर्ष 88-89 में अधिक विकास एवं निर्माण कार्य किये गये उसी प्रकार 89-90 में भी अधिक से अधिक विकास एवं निर्माण के कार्य किये जाये ताकि परिषद द्वारा स्थापित मानकों से पूरा कार्य लिया जा सके तथा परिषद में पंजीकृत व्यक्तियों को कम से कम समय में भूखण्ड तथा भवन आवंटित किये जा सकें।
		7- परिषद द्वारा तैयार किये गये गुण नियंत्रण मैनुअल के अनुसार कार्यवाही करके भवनों की गुणवत्ता में और सुधार लाया जायेगा। इस दिशा में किये गये कार्यों की सूचना जनता को भी दी जाये।
		परिषद के उपरोक्त सुझावों के साथ साथ शासन से निम्न मदों में भी आर्थिक सहायता करने हेतु अनुरोध किया जाये:-
		1- परिषद की भूमि अर्जन की वर्तमान कठिनाइयों को देखते हुये शासन से रिवाल्विंग फण्ड के माध्यम से कम से कम 30 करोड़ का ऋण शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया जाय।
		2- दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के भवनों के लिये परिषद द्वारा जो आवंटियों को भूमि दर में छूट दी जा रही है उसके अनुसार शासन से "सब्सीडी" स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया जाये।

1	2	3	4
			3-20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के भवनों के लिये जो परिषद कुछ वर्षों से अतिरिक्त व्यय करता आ रहा है तथा 88-89 में भी अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा को ध्यान में रखते हुये शासन से कम से कम 20 करोड़ का अतिरिक्त ऋण 6 प्रतिशत ब्याज दर पर स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया जाये। अध्यक्ष म0 द्वारा यह भी राय व्यक्त की गई कि लैण्ड एक्वीजीशन बाण्ड जारी करने के बारे में भी अध्ययन कर लिया जाये जिससे कि परिषद को भूमि अर्जन के लिये प्रतिकर का भुगतान एक मुश्त नहीं करना पड़ेगा तथा काश्तकारों को भी उनकी आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध हो सकेगी। परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मा0 अध्यक्ष के इस सुझाव का विस्तारपूर्वक अध्ययन कर लिया जाये तथा शासन को इस बारे में शीघ्र लिखा जाये।

पुष्टि की गयी

[signature]

अध्यक्ष